भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2802
उत्तर देने की तारीख: 12.12.2024

उद्यमियों के समर्थन के लिए पीएमईजीपी

2802. श्री हमदुल्ला सईद:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में उद्यमियों और लघु उद्योगों को समर्थन देने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) को सक्रिय रूप से कार्यान्वित कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) एमएसएमई मंत्रालय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में गैर-कृषि क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करने में उद्यमियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का सक्रिय रूप से कार्यान्वयन कर रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत, सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25% और शहरी क्षेत्रों में 15% मार्जिन मनी सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। विशेष श्रेणियों जैसे अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक/महिला/भूतपूर्व सैनिक/ट्रांसजेंडर/दिव्यांग/पूर्वोत्तर क्षेत्र/आकांक्षी जिले/पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों आदि के लिए, मार्जिन मनी सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्रों में 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% है। विनिर्माण क्षेत्र में परियोजना की अधिकतम लागत 50 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपये है।

वर्ष 2018-19 से मौजूदा पीएमईजीपी/मुद्रा उद्यमों को भी उन्नयन और विस्तार के लिए दूसरे ऋण के साथ सहायता दी जा रही है। दूसरे ऋण के अंतर्गत, विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी के लिए स्वीकार्य अधिकतम परियोजना लागत 1.00 करोड़ रुपये और सेवा क्षेत्र के लिए यह 25 लाख रुपये है। सभी श्रेणियों के लिए दूसरे ऋण हेतु पात्र सब्सिडी परियोजना लागत का 15% (पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए 20%) है।

(ख) वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2024-25* (दिनांक 06.12.2024 तक) तक के दौरान सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या, संवितरित मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी और अनुमानित सृजित रोजगार के संदर्भ में पीएमईजीपी का कार्य-निष्पादन नीचे दिया गया है:

वर्ष	**सहायता-प्राप्त इकाइयों की सं.**	**एमएम सब्सिडी (करोड़ रु. में)**	**अनुमानित सृजित रोजगार**
वित्तीय वर्ष 2019-20	66,653	1,950.82	5,33,224
वित्तीय वर्ष 2020-21	74,415	2,188.80	5,95,320
वित्तीय वर्ष 2021-22	1,03,219	2,977.65	8,25,752
वित्तीय वर्ष 2022-23	85,167	2,722.17	6,81,336
वित्तीय वर्ष 2023-24	89,118	3,093.87	7,12,944
वित्तीय वर्ष 2024-25*	26,955	1,058.17	2,15,640

वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2024-25* (06.12.2024 तक) तक के दौरान सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या, संवितरित मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी और अनुमानित सृजित रोजगार के संदर्भ में पीएमईजीपी का क्षेत्र-वार कार्य-निष्पादन नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	**ग्रामीण**			**शहरी**		
	सहायता-प्राप्त इकाइयों की संख्या	**अनुमानित सृजित रोजगार**	**एमएम सब्सिडी (करोड़ रु. में)**	**सहायता-प्राप्त इकाइयों की संख्या**	**अनुमानित सृजित रोजगार**	**एमएम सब्सिडी (करोड़ रु. में)**
वित्तीय वर्ष 2019-20	53,714	4,29,712	1,695.71	12,939	1,03,512	255.11
वित्तीय वर्ष 2020-21	60,682	4,85,456	1,914.46	13,733	1,09,864	274.34
वित्तीय वर्ष 2021-22	84,696	6,77,568	2,585.86	18,523	1,48,184	391.80
वित्तीय वर्ष 2022-23	68,470	5,47,760	2,323.48	16,697	1,33,576	398.69
वित्तीय वर्ष 2023-24	68,939	5,51,512	2,546.19	20,179	1,61,432	547.68
वित्तीय वर्ष 2024-25*	21,920	1,75,360	905.99	5,035	40,280	152.19

*****